

कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर

क्रमांक : 51

दिनांक : 21.07.2023

-: कार्यालय आदेश :-

मैं, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01/06/2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह अगस्त, 2023 में** आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दंप्रसं के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(कार्यालय समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे के मध्य 11 ए.एम. से 1.30 पी.एम तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्वेन्ट्री हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ।

माह अगस्त, 2023 हेतु -

1.	06.08.2023	सुश्री दिव्या गोदारा	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 01, जोधपुर महानगर	7597700816
2.	09.08.2023	श्री सुनील गोस्वामी	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 02, जोधपुर महानगर	8118817203
3.	12.08.2023	श्री प्रमोद	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 05, जोधपुर महानगर	9549990077
	13.08.2023			
4.	15.08.2023	श्री जतिन परमार	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 03, जोधपुर महानगर	9414753620
5.	20.08.2023	श्री अजय सिंगारिया	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर	9724009046
6.	26.08.2023	श्रीमती उर्मि व्यास	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 07, जोधपुर महानगर	9829601656
	27.08.2023			
7.	30.08.2023	श्रीमती मीनाक्षी नाथ	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 08, जोधपुर महानगर	9166371369

नोट : उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -

1.	06.08.2023	श्रीमती प्रतिभा मोट्यार	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर	9680032564
2.	09.08.2023	शाइस्ता लोधी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8, जोधपुर महानगर	9529155244
3.	12.08.2023	डॉ. रामचन्द्र चौहान	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर महानगर	9414534882
	13.08.2023			
4.	15.08.2023	डॉ. पवन कुमार बिश्नोई	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई), जोधपुर महानगर	9413372233
5.	20.08.2023	श्रीमती ज्योत्सना मीणा	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी), जोधपुर महानगर	8290595500
6.	26.08.2023	श्री प्रकाश चन्द्र मीणा	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5, जोधपुर महानगर	9694750325
	27.08.2023			
7.	30.08.2023	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 6, जोधपुर महानगर	9521111457


रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट :

(ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टॉफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।



मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर

क्रमांक : 24

दिनांक-21.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
2. स्थापना शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर।
3. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-2, 5, 6, 8, पीसीपीएनडीटी, किराया अधिकरण व CBI जोधपुर महानगर।
6. महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर, महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 व 8 जोधपुर महानगर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
8. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
9. नोटिस बोर्ड (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)
10. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
11. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाईट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
14. कार्यालय प्रति।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर